

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती बिन्दू बाला राजावत आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 13/2025
किस्म :- प्रार्थना-पत्र
दायर दिनांक : 01.01.2025

निर्णय दिनांक : 30.10.2025

—:अनवान:—

1. गुलाबी पत्नि स्व० कालु जाति तेली निवासी गणेशपुरा तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
2. प्यारचन्द पुत्र तोली राम जाति तेली निवासी गणेशपुरा तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
3. माधु पुत्र कालुजी जाति तेली निवासी गणेशपुरा तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द

— प्रार्थीगण

बनाम

1. अमरचन्द पुत्र लेहरू जाति तेली
2. गणेश पुत्र किशना जाति तेली
3. नाना पुत्र किशना जाति तेली
4. प्रेमी पुत्री लेहरू जाति तेली
5. पारस पुत्री लेहरू जाति तेली
6. मोहनी पुत्री लेहरू जाति तेली
7. रतनलाल पुत्र लेहरू जाति तेली
8. रामेश्वरलाल पुत्र लेहरू जाति तेली
9. चांदी पत्नि गणेशलाल जाति जाट
10. छगनलाल पुत्र हीरालाल जाति जाट
11. नानालाल पुत्र गणेशजी जाति जाट
12. नानीबाई पत्नि हीरालाल जाति जाट
13. प्यारीबाई पत्नि स्वर्गीय धन्नालाल जाति जाट
14. बद्रीलाल पुत्र गणेश जाति जाट
15. शम्भुलाल पुत्र हीरालाल जाति जाट
16. सभी निवासीयान गणेशपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
17. चन्द्रप्रकाश पिता सुबानंद जाति ब्राह्मण आयु बालिग निवासी काबरा हाल निवासी उदयपुर
18. जगदीशलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण आयु बालिग निवासी काबरा हाल निवासी उदयपुर
19. पुरुषोत्तमल पुत्र सुबानंद जाति ब्राह्मण आयु नाबालिग निवासी काबरा हाल निवासी उदयपुर
20. मोहन पुत्र कालु जाति गाड़री निवासी गणेशपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
21. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार महोदय रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

5

.....विपक्षीगण



वास्ते,

तहसीलदार रेलमगरा

जो कि मुल ही हुक्मनामा आपके पास भेजकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजी संख्या 422/58 रकबा 0.4779, आराजी संख्या 425/63 रकबा 0.3434, आराजी संख्या 59 रकबा 0.1295, आराजी संख्या 61 रकबा 0.2671 भूमि ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का काबरा तहसील रेलमगरा आप मौके पर जाकर उभयापक्षकारन की उपस्थिति में यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो एवं मौके पर निर्माण नहीं हो तो राजस्व रेकार्ड खाता एवं नक्शा ट्रेस अनुसार विधिवत रूप से नपती कर पत्थरगढी के वक्त किसी के कब्जे में दखल नहीं करते हुये किसी प्रकार का कब्जा संपूर्ण नहीं किया जावे । फिस पत्थरगढी 1500/- रुपये अक्षरे. एक हजार पांच सौ रुपये प्रार्थी से वसुल कर राज कोष मे जमा करावे। बाद तामिल हुक्मनामा फसल कटाई के पश्चात् पत्थरगढी पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

यह हुक्मानामा आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
राजसमंद